

# सोशल आडिट निदेशालय

ग्राम्य विकास विभाग, उ०प्र०

7वाँ तल, पी.सी.एफ. भवन, 32, स्टेशन रोड, लखनऊ-226001

Phone No.: 0522-2630878, Fax: 0522-4003787, E-mail: socialauditup@yahoo.in

पत्रांक: 513/सो.आ.नि.-318(III)/2019

दिनांक: 09 जनवरी, 2019

प्रेषक,

निदेशक,  
सोशल आडिट,  
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,  
(गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर तथा कासगंज को छोड़कर)  
उत्तर प्रदेश।

विषय: सोशल आडिट टीमों का पैनल तैयार किया जाना।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक इस निदेशालय के पत्र संख्या 473/सो.आ.नि.-318(II)/2017 दिनांक 26-12-2018 के द्वारा प्रेषित विज्ञप्ति सम्बन्धी निर्देश का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। सोशल आडिट टीमों के गठन के सम्बन्ध में निम्नवत् दिशा-निर्देश निर्गत किए जाते हैं, इन निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाना अपेक्षित है:-

1- सोशल आडिट टीमों का पैनल तैयार किया जाना :-

ग्राम पंचायतों में निर्दिष्ट योजनाओं यथा मनरेगा तथा प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) तथा अन्य के अर्न्तगत कराए गए कार्यों का सोशल आडिट करने हेतु ब्लाक स्तर पर 04 सदस्यीय सोशल आडिट टीमों के पैनल तैयार करने हेतु इच्छुक अभ्यर्थियों से निम्नवत् आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं:-

- (क) प्रत्येक सोशल आडिट टीम में सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति/जनजाति, तथा जाबकार्ड धारक श्रमिक अथवा उसके पात्र पुत्र/पुत्री-प्रत्येक श्रेणी से एक-एक सदस्य होंगे। उक्त में से न्यूनतम एक सदस्य का महिला होना अनिवार्य है। महिला अभ्यर्थी के स्वयं सहायता समूह (SHG) के सदस्य होने पर उसे वरीयता दी जाएगी।
- (ख) शैक्षिक अर्हता:- हाईस्कूल उत्तीर्ण। हाईस्कूल उत्तीर्ण अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर चयन समिति द्वारा शैक्षिक अर्हता शिथिलनीय।
- (ग) निवास:- सोशल आडिट टीम का सदस्य नामित होने हेतु उसी विकास खण्ड का निवासी होना अनिवार्य है।
- (घ) आयु:- 01 अप्रैल, 2019 को 40 से 65 वर्ष के मध्य।
- (ङ) सोशल आडिट टीमों के सदस्यगण सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में मात्र 31 मार्च, 2020 तक के लिए पैनल पर नामित किए जाएंगे। इस तिथि के बाद यह पैनल स्वतः समाप्त हो जायेगा।
- (च) पैनल पर नामित सदस्यगणों से केवल आवश्यकतानुसार सोशल आडिट हेतु उनकी सेवाएं प्राप्त की जाएंगी। यह भी सम्भव है कि कतिपय मामलों में अपरिहार्य कारणों से सदस्यगणों से सोशल आडिट का कार्य न लिया जा सके। सोशल आडिट का कार्य न लिए जाने की स्थिति में उन्हें किसी प्रकार का व्यवसायिक शुल्क अनुमन्य न होगा।
- (छ) सोशल आडिट के वास्तविक रूप से सम्पन्न होने पर सोशल आडिट टीम के प्रत्येक सदस्य को प्रति सोशल आडिट रू० 500/- व्यवसायिक शुल्क के रूप में अनुमन्य होगा।

- (ज) सोशल आडिट टीम के सदस्यों की सेवाएं पूर्णतया सामाजिक कार्य है। यह किसी प्रकार की नौकरी नहीं है और न ही इससे भविष्य में किसी प्रकार की नौकरी की हकदारी बनेगी।
- (झ) टीम के सदस्य हेतु आवेदन पत्र खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय या जिला विकास अधिकारी कार्यालय से निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है अथवा संगठन की वेबसाइट [www.socialauditup.in](http://www.socialauditup.in) से डाउनलोड किया जा सकता है।

<b>“सोशल आडिट टीम का सदस्य” हेतु आवेदन पत्र</b>	
1- विकास खण्ड : .....	2- ग्राम पंचायत : .....
3- अभ्यर्थी का नाम : .....	4- पिता/पति का नाम : .....
5- जन्मतिथि : .....	6- शैक्षिक अर्हता : .....
7- श्रेणी (सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति/जनजाति, जाबकार्ड धारक श्रमिक अथवा उसका पात्र पुत्र/पुत्री):.....	
8- सोशल आडिट टीम के सदस्य के रूप में पूर्व में प्रशिक्षण प्राप्त किया है-हाँ/नहीं। प्रशिक्षण प्राप्त करने का वर्ष -	
9- निवास का पता एवं मोबाइल नं० : .....	
दिनांक.....	
अभ्यर्थी का हस्ताक्षर.....	

- (ट) जिला विकास अधिकारी कार्यालय में आवेदन-पत्र पहुँचने की अन्तिम तिथि: **17 जनवरी, 2019** है।

2- उपर्युक्त प्रारूप के अनुसार पर्याप्त संख्या में आवेदन-पत्र का प्रारूप स्थानीय स्तर पर जिला विकास अधिकारी द्वारा कन्टीनजेन्सी/स्टेशनरी व्यय मद में उपलब्ध धनराशि से छपवा लिया जाना चाहिए तथा इसका वितरण खण्ड विकास अधिकारियों के माध्यम से प्रार्थना पत्र देने के इच्छुक व्यक्तियों को उपलब्ध कराया जाना चाहिए। इच्छुक अभ्यर्थी यदि चाहें, निदेशालय की वेबसाइट [www.socialauditup.in](http://www.socialauditup.in) से उक्त प्रार्थना-पत्र का प्रारूप डाउनलोड भी कर सकते हैं।

3- प्रत्येक विकास खण्ड में 10 ग्राम पंचायतों पर एक “4 सदस्यीय सोशल आडिट टीम” का गठन किया जाएगा। उदाहरणार्थ, यदि किसी विकास खण्ड में 61-70 के बीच ग्राम पंचायतें हों तो उस विकास खण्ड में 7 टीमों का गठन किया जाना अपेक्षित होगा, किन्तु यदि ग्राम पंचायतों की संख्या 59 हो तो 6 टीमों का ही गठन किया जाएगा।

उक्तवत् 10 ग्राम पंचायतों पर 1 टीम के गठन के अतिरिक्त प्रत्येक विकास खण्ड में सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति/जनजाति, जाबकार्डधारक श्रमिक अथवा उसका पात्र पुत्र/पुत्री (04 सदस्यीय टीम में न्यूनतम 01 सदस्य का महिला होना अनिवार्य है)। महिला अभ्यर्थी के स्वयं सहायता समूह (SHG) के सदस्य होने पर उसे वरीयता दी जाएगी। उक्त सभी वर्गों से 2-2 व्यक्तियों को रिजर्व सूची में रखा जाएगा ताकि गठित टीमों में से यदि किसी वर्ग के चयनित अभ्यर्थी सोशल आडिट हेतु उपस्थिति नहीं होता है तो उसके स्थान की पूर्ति इस रिजर्व सूची से की जा सके। सोशल आडिट टीम के सदस्य हेतु न्यूनतम अर्हता हाईस्कूल उत्तीर्ण है, किन्तु यदि किसी वर्ग के हाईस्कूल उत्तीर्ण अभ्यर्थी उपलब्ध न हों तो विशेष परिस्थितियों में समिति शैक्षिक अर्हता को शिथिल कर सकती है।


4- **टीम के गठन हेतु अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र प्राप्त करना:-**

टीमों के गठन के संबंध में ग्राम पंचायतों में व्यापक जन सम्पर्क के माध्यम से प्रचार-प्रसार किया जाएगा ताकि जन-सामान्य में सोशल आडिट के प्रति जागरूकता बढ़े और अधिक से अधिक उपयुक्त अभ्यर्थियों से सोशल आडिट टीम के सदस्य के रूप में पैनल पर रखे जाने हेतु आवेदन प्राप्त हो सकें। ग्राम पंचायतों में स्वैच्छिक रूप से सामाजिक कार्यों में सक्रिय व्यक्तियों, भारत निर्माण वालंटियर्स (B.N.V.) में प्रशिक्षण प्राप्त स्वयं सेवकों, ग्रामीण आजीविका मिशन के अर्न्तगत गठित स्वयं सहायता समूहों (S.H.G.) तथा जाबकार्डधारक श्रमिक के पात्र पुत्र/पुत्री, जो कम से कम हाईस्कूल उत्तीर्ण हों, को टीम के सदस्य हेतु आवेदन पत्र प्रेषित करने हेतु प्रेरित किया जाना चाहिए। पर्याप्त संख्या में अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र प्राप्त हों, इस हेतु खण्ड विकास अधिकारियों का भी सहयोग प्राप्त किया जाना चाहिए।

- 5- **समिति:-** प्राप्त आवेदन पत्रों का परीक्षण करते हुए टीम के सदस्य के रूप में पैनल पर रखे जाने हेतु उपयुक्तता का निर्धारण निम्नवत् गठित समिति द्वारा किया जाएगा:-
- |     |  |            |
|-----|--|------------|
| (क) | जिला विकास अधिकारी   | अध्यक्ष    |
| (ख) | जिलाधिकारी द्वारा नामित किसी कालेज/<br>प्रतिष्ठित शैक्षिक संस्था का प्रतिनिधि  | सदस्य      |
| (ग) | जिला सोशल आडिट कोऑर्डिनेटर अथवा<br>जिला विकास अधिकारी द्वारा नामित अन्य पदधारक | सदस्य सचिव |
- पैनल पर रखे जाने हेतु समिति का गठन आवेदन पत्र प्राप्त करने की अन्तिम तिथि से पूर्व पूर्ण कर लिया जाये जिससे ससमय टीमों का पैनल तैयार किया जा सके।
- 6- **प्रक्रिया:-**  
सोशल आडिट टीमों के गठन हेतु दिनांक 17-01-2019 तक प्राप्त आवेदन पत्रों को जिला विकास अधिकारी के कार्यालय में विकास खण्डवार रजिस्टर पर दर्ज किया जाएगा और उनका परीक्षण कर पात्र आवेदकों को चयन समिति के समक्ष साक्षात्कार हेतु बुलाया जाएगा। पैनल तैयार करने की प्रक्रिया निर्धारित अवधि तक पूर्ण कर ली जानी है ताकि शीघ्रतिशीघ्र टीमों के सदस्यों को समुचित प्रशिक्षण दिया जा सके।
- 7- **टीम के सदस्यों की कार्यावधि:-**  
टीम के सदस्यों का पैनल 31 मार्च, 2020 तक के लिए मान्य होगा। 31 मार्च, 2020 को इनकी कार्यावधि स्वतः समाप्त हो जाएगी।
- 8- **व्यावसायिक शुल्क :-**  
प्रत्येक ग्राम पंचायत के सोशल आडिट के सम्यक् रूप से सम्पन्न होने पर टीम के प्रत्येक सदस्य को निर्धारित दरों पर व्यावसायिक शुल्क का भुगतान अनुमन्य होगा। वर्तमान में यह दर रू0 500/- प्रति सोशल आडिट प्रति सदस्य है।
- 9- **कर्तव्य एवं दायित्व :-**  
निर्दिष्ट ग्राम पंचायत में योजनाओं के अर्न्तगत कराए गए कार्यों का सोशल आडिट सम्पादित करना, जिसमें निम्नांकित सम्मिलित है :-
- (1) मस्टर रोल की प्रविष्टियों के अनुसार किए गए भुगतान का मजदूरी प्राप्त करने वाले समस्त व्यक्तियों से सम्पर्क करके सत्यापन कराना।
  - (2) योजना के अर्न्तगत कराए गए समस्त कार्यों का स्थल पर सत्यापन करते हुए अभिलेखों के आधार पर मात्रा एवं कराए गए कार्यों की गुणवत्ता पर टिप्पणी करना।
  - (3) रोकड़ बही, बैंक विवरण, बिलों, बाउचरों एवं अन्य वित्तीय अभिलेखों का परीक्षण कर वित्तीय सूचना प्रेषण की शुद्धता का सत्यापन करना।
  - (4) सामग्री क्रय निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार होने की पुष्टि हेतु सभी इनवॉयस, बिल बाउचर्स या अन्य सम्बन्धित अभिलेखों का परीक्षण कर सत्यापन करना।
  - (5) कार्यक्रम के लिए प्राप्त निधियों में से कार्यकारी संस्थाओं द्वारा किए गए अन्य भुगतानों का सत्यापन करना।
  - (6) परिसम्पत्तियों (व्यक्तिगत लाभार्थियों की भूमि पर किए गए कार्यों सहित) की भौतिक स्थिति, गुणवत्ता एवं परिसम्पत्तियों की उपयोगिता के बारे में लाभार्थियों की संतुष्टि का आंकलन करना।
  - (7) निर्धारित प्रारूप पर सभी जॉबकार्ड धारकों को दी गई धनराशि के ब्यौरे वाल पेंटिंग में दर्शाए जाने की स्थिति एवं उसमें दिए गए विवरणों का अभिलेखों से मिलान कर टिप्पणी करना।
  - (8) सोशल आडिट में पाई गई कमियों का उल्लेख करते हुए तथा सोशल आडिट ड्राफ्ट प्रतिवेदन तैयार करना।
  - (9) यदि ग्राम पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) का निर्माण हुआ है तो उसका शत-प्रतिशत सत्यापन एवं ड्राफ्ट प्रतिवेदन तैयार करना।
  - (10) निदेशक सोशल आडिट, उ0प्र0 द्वारा निर्दिष्ट अन्य योजनाओं के सोशल आडिट सम्बन्धी कार्य।

- 10- कृपया आवेदन पत्र का प्रारूप जिला तथा ब्लाक स्तर पर नोटिस बोर्डों पर चस्पा कराने तथा उनकी फोटोकापी वांछित अभ्यर्थियों को उपलब्ध कराने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।

आपसे अनुरोध है कि कृपया टीमों के गठन हेतु यथोचित व्यवस्था करने हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें ताकि सोशल आडिट के लिए टीमों का गठन समय से 31 जनवरी, 2019 तक पूर्ण हो सके।

भवदीया,  
  
(कु० रेखा गुप्ता) 9/1/19  
निदेशक

प्रतिलिपि :-

निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, अनुभाग-7, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
- 2- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
- 3- समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 4- समस्त जिला विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

/  
(कु० रेखा गुप्ता)  
निदेशक